



कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।



e-mail : pccf-development@gov.in

☎ - 0651-2481813/ 9304727852

पत्रांक : 01/सौ0बजट-43/2022- 65 दिनांक : 10/02/22

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
वन्यप्राणी प्रमण्डल, राँची।

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2021-22 में कार्यान्वित की जाने वाली केन्द्र प्रायोजित योजना,
“वन्यप्राणी पर्यावास का समेकित विकास” (80:40) के अंतर्गत 10 वन्यप्राणी
पर्यावास के विकास एवं रख-रखाव हेतु कुल ₹0 284.438 लाख (दो
करोड़ चौरासी लाख तैंतालीस हजार आठ सौ रुपये) मात्र राशि का
ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:-

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/सौ0ब0-37/2020-32/स्वी0 व0प0 दिनांक
04.02.2022 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/सौ0बजट-37/2020-
52/आ0 व0प0 दिनांक 04.02.2022।

नडाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2408-
वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-02 पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव, लघु
शीर्ष-110 वन्य जीव परिरक्षण, उप शीर्ष-22 वन्यप्राणी पर्यावास का समेकित विकास के तहत
वित्तीय वर्ष 2021-22 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल ₹0 284.438 लाख (दो
करोड़ चौरासी लाख तैंतालीस हजार आठ सौ रुपये) मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित
इकाईयों में किया जाता है:-

(क) केन्द्रांश (60%)

प्राथमिक इकाई	विषय कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19C24060211022010103	103.785
आपूर्ति एवं सामग्री	19C24060211022010323	66.878
कुल :-		170.663

(ख) राज्यांश (40%)

प्राथमिक इकाई	विषय कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S24060211022010103	69.189
आपूर्ति एवं सामग्री	19S24060211022010323	44.586
कुल :-		113.775

2. योजना कार्यान्वयन HDFC बैंक में खोले गये खातों के माध्यम से PFMS के
द्वारा किया जाना है। अतः कोषागार से एक मुश्त राशि की निकासी हेतु निकासी एवं व्ययन
पदाधिकारी वन प्रमण्डल पदाधिकारी, वन्यप्राणी प्रमण्डल, राँची होंगे तथा उक्त राशि को
सिंगल नॉडल पदाधिकारी के पदनाम से खोले गये बैंक खाता संख्या 50100451831547
आई0एफ0सी0 कोड संख्या HDFC0002519 में जमा किया जायेगा। भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य
अनुलग्नक-1 पर तथा ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति अनुलग्नक-2 पर दृष्ट्य है।

(Handwritten signature)

3. इस योजना का कोड संख्या-19C24060211022010103, 19C24060211022010323, 19S24060211022010103 एवं 19S24060211022010323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. योजना का कार्यान्वयन भारत सरकार द्वारा "वन्यप्राणी पर्यावास का समेकित विकास" हेतु स्वीकृत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य, विनुकृत राशि एवं अधिरोपित राशियाँ/मार्गदर्शिका से अंकित/ गठित विधियों के अनुरूप ही सुनिश्चित किया जाएगा।

5. योजना के कार्यान्वयन से पूर्व इनके प्राक्कलन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करते हुए उसकी एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध करायी जाएगी।

6. (I) स्वीकृत की जा रही राशि का आवंटन मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या-301 दिनांक-11.03.2015 के आलोक में वन एवं पर्यावरण विभाग के स्तर से निर्गत किया जायेगा।

(II) स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक-2561, दिनांक-17.04.1998 एवं समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्रों के अनुरूप किया जायेगा।

(III) राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम-174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़ता पूर्वक किया जायेगा।

(IV) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में उप आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा।

7. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड/ प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड होंगे।

8. (I) निकासी एवं व्यय पदाधिकारी योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से इस कार्यालय को अवगत करायेंगे।

(II) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एवं उनके नियंत्री पदाधिकारी नियमित रूप से राशि का व्यय, समायोजन तथा प्रामाण्य लेखा में प्रवृद्धि की समीक्षा करेंगे एवं समीक्षोपरान्त इस कार्यालय को वस्तुस्थिति से अवगत करायेंगे।

(III) नियंत्री पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी कार्यान्वयन एजेंसी जिनका कार्य संतोषप्रद न हो तथा जहाँ आवश्यक सुधार की आवश्यकता हो, तदनुसार निर्देश इस स्तर से प्राप्त करना चाहेंगे।

9. (I) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन 100% निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(II) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाय। मार्गदर्शिका में नीति उद्देश्य/लक्ष्य की प्राप्ति हो। यह भी देखा जाय कि man-animal conflicts में तुलनात्मक वर्षवार कितनी कमी आ रही है। प्रभावित श्रोतों को चिन्हित कर विशेष प्रभावित क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया जाय।

(III) निरीक्षण प्रतिवेदन प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक इस कार्यालय को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

(IV) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी sub-disbursal से भुगतान ब्यौरा प्राप्त करके उसका आंशिक सत्यापन कर सकेंगे। मास्टर रोल में बैंक account no के साथ फोन नम्बर भी एकत्र किया जाय।

(V) जिन प्रमण्डलों ने तकनीकी स्वीकृति प्राक्कलन प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी, झारखण्ड को उपलब्ध नहीं कराया है, वे प्रमण्डल उप आवंटित राशि के अधीन तकनीकी स्वीकृति प्राक्कलन तैयार कर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी, झारखण्ड को उपलब्ध कराने के उपरान्त ही राशि का व्यय करेंगे।

(VI) सभी भुगतान DBT या सीधे बैंक खाते में अगिकों तथा सामग्री आपूर्तिकर्ता को किया जायेगा।

(VII) बैंक स्टेटमेंट भी sub-disbursal का साथ मास्टर रोल/भाउचर के साथ प्राप्त कर लें ताकि नियमित भुगतान की सनीक्षा की जा सके।

(VIII) Income tax(IT)/ Service Tax(GST/VAT)/ Mines Royal के तहत जहाँ at-source कटौती करना है, यह कटौती DDO/sub-disbursal सुनिश्चित करेंगे तथा ससमय return जमा करेंगे।

10. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अन्तर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वार्षिक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

11. (I) सभी यंत्र-संयंत्र, मशीन उपकरण आदि का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करते हुए वित्तीय नियमों के अनुपालन के पश्चात् मशीन एवं सामग्रियों का क्रय e-GEMS से किया जाएगा।

(II) वैसे यंत्र-संयंत्र एवं मशीन उपकरण जिनका क्रय e-GEMS के माध्यम से नहीं हो सकता है, उनका क्रय निविदा आमंत्रित करके की जाएगी।

12. COVID-19 के रोकथाम के संबंध में वन प्रमण्डल पदाधिकारी का यह दायित्व रहेगा कि जहाँ-जहाँ मजदूरों से कार्य लिया जाएगा उनके Social distancing तथा उनके मास्क का प्रयोग अनिवार्य रखा जाएगा। हैन्डवास इत्यादि की सुनिश्चित व्यवस्था की जाए।

13. निकासी एवं व्यय पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते के माध्यम से ही किया जाएगा। साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

14. (I) नियंत्री तथा निकासी एवं व्यय पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना इस कार्यालय को तुरंत देंगे। नियंत्री एवं निकासी पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना में निहित कार्य का दोहरणीकरण न हो।

(II) उक्त क्रम में कतिपय कार्य हैं जो विभिन्न वर्षों में संबंधित क्षेत्र में राज्य योजना/ केन्द्र प्रायोजित योजना/ कैंम्पा योजना से होता है इसे मैप कर e-green watch portal पर अपलोड किया जाए।

(III) अगर e-green watch portal पर संभव नहीं है, तो इस कार्य हेतु e-green watch portal जैसा दूसरा पोर्टल विकसित करने की कार्रवाई राज्य योजना अंतर्गत किया जाए।

15. योजनाओं में सामग्रियों का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार किया जायेगा।

16. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरूप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सवितरणों के खाते का मासिक तार (60P) वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेगे।

17. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक-3542 दिनांक, दिनांक 11.03.2015 के आलोक में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जाएगा।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0बजट-43/2022- 65 दिनांक- 10/02/22

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची / मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी, झारखण्ड, राँची / मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, पलामू व्याघ्र परियोजना, मेदिनीनगर / क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका / वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, दुमका / वन प्रमण्डल पदाधिकारी, वन्यप्राणी प्रमण्डल, हजारीबाग / वन्यप्राणी प्रमण्डल, राँची / साहेबगंज वन प्रमण्डल / उप वन संरक्षक, गज परियोजना, जमशेदपुर / उप निदेशक, पलामू व्याघ्र परियोजना, दक्षिणी प्रमण्डल, मेदिनीनगर इनविस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0बजट-43/2022- 65 दिनांक- 10/02/22

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा, राँची / मेदिनीनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

द्वितीय वर्ष 2021-22 में कार्यान्वित की जाने वाली केन्द्रीय योजना "व्यापारी पर्यावरण का समेकित विकास" योजना (60:40) के अन्तर्गत वार्षिकीकरण के अर्जीनदख बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रकीर्ण कार्य योजना के तहत उक्त आवंटित भौतिक एवं वित्तीय तत्व

(अर्जी क्र. 2) 2018

वर्ष 2021-22 का अनुमानित व्यय	वर्ष 2021-22 का अनुमानित व्यय	वर्ष 2021-22 का अनुमानित व्यय	वर्ष 2021-22 का अनुमानित व्यय	वर्ष 2021-22 का अनुमानित व्यय	वर्ष 2021-22 का अनुमानित व्यय	वर्ष 2021-22 का अनुमानित व्यय			वर्ष 2021-22 का अनुमानित व्यय			वर्ष 2021-22 का अनुमानित व्यय	
						वर्ष 2021-22 का अनुमानित व्यय	वर्ष 2021-22 का अनुमानित व्यय	वर्ष 2021-22 का अनुमानित व्यय	वर्ष 2021-22 का अनुमानित व्यय	वर्ष 2021-22 का अनुमानित व्यय	वर्ष 2021-22 का अनुमानित व्यय		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
वर्ष 2021-22 का अनुमानित व्यय	वर्ष 2021-22 का अनुमानित व्यय	वर्ष 2021-22 का अनुमानित व्यय	वर्ष 2021-22 का अनुमानित व्यय	वर्ष 2021-22 का अनुमानित व्यय	वर्ष 2021-22 का अनुमानित व्यय	वर्ष 2021-22 का अनुमानित व्यय	वर्ष 2021-22 का अनुमानित व्यय	वर्ष 2021-22 का अनुमानित व्यय	वर्ष 2021-22 का अनुमानित व्यय	वर्ष 2021-22 का अनुमानित व्यय	वर्ष 2021-22 का अनुमानित व्यय	वर्ष 2021-22 का अनुमानित व्यय	वर्ष 2021-22 का अनुमानित व्यय
वर्ष 2021-22 का अनुमानित व्यय	वर्ष 2021-22 का अनुमानित व्यय	वर्ष 2021-22 का अनुमानित व्यय	वर्ष 2021-22 का अनुमानित व्यय	वर्ष 2021-22 का अनुमानित व्यय	वर्ष 2021-22 का अनुमानित व्यय	वर्ष 2021-22 का अनुमानित व्यय	वर्ष 2021-22 का अनुमानित व्यय	वर्ष 2021-22 का अनुमानित व्यय	वर्ष 2021-22 का अनुमानित व्यय	वर्ष 2021-22 का अनुमानित व्यय	वर्ष 2021-22 का अनुमानित व्यय	वर्ष 2021-22 का अनुमानित व्यय	वर्ष 2021-22 का अनुमानित व्यय

1	2	3	4	5	6	7						8	9	10	11	12	13	14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
						1000/	1000	1000	1000	1000	1000								1000	1000	1000	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014

क्र.सं.	विवरण	मात्रा	एकक	दर	मूल्य	व्याज			व्याज (वै.सं.)			कुल	व्याज		
						प्रारंभिक	अंतिम	व्याज	प्रारंभिक	अंतिम	व्याज				
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

...
 ...
 ...



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

आवंटन क्र. 2021-22 में एक हेतु विभागीय कार्य एवं कार्य के लिये अतिरिक्त राशि आवंटन की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-43/2022/85

दिनांक - 10-Feb-2022

क्रमांक	विपत्र कोड	एकरीस नं	निकासी एवं व्यवहल पदा.	आवंटित राशि
1	C 19 24060211022010103 2406 - कानिची तथा अन्य प्राणी 02 - पर्यावरणीय कानिची तथा अन्य प्राणी 110 - अन्य जीव परिदरक्षण 22 - अन्य प्राणी पर्यवस का लभेनित विकास योजना 01-अन्यप्राणी पर्यवस का लभेनित विकास योजना 01 - वेतन एवं भत्ते	79227	DRNFWL049 UMESH SAHANI DFO WILD LIFE DIVISION RANCHI 03 - बन्दूकी	10,378,500.00 इसमें एक करोड तीन लाख अठ्ठास हजार पंच सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
2	S 19 24060211022010103 2406 - कानिची तथा अन्य प्राणी 02 - पर्यावरणीय कानिची तथा अन्य प्राणी 110 - अन्य जीव परिदरक्षण 22 - अन्य प्राणी पर्यवस का लभेनित विकास योजना 01-अन्यप्राणी पर्यवस का लभेनित विकास योजना 01 - वेतन एवं भत्ते	79237	DRNFWL049 UMESH SAHANI DFO WILD LIFE DIVISION RANCHI 03 - बन्दूकी	6,918,900.00 इसमें उनकरर लाख अठ्ठास हजार नौ सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
3	C 19 24060211022010323 2406 - कानिची तथा अन्य प्राणी 02 - पर्यावरणीय कानिची तथा अन्य प्राणी 110 - अन्य जीव परिदरक्षण 22 - अन्य प्राणी पर्यवस का लभेनित विकास योजना 01-अन्यप्राणी पर्यवस का लभेनित विकास योजना 03 - उद्योगिक एवं	79233	DRNFWL049 UMESH SAHANI DFO WILD LIFE DIVISION RANCHI 23 - बाण्डुकि एक प्राणी	6,687,600.00 इसमें एकलठ लाख तिलासी हजार सप्त सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग: 23,985,200.00

प्रतिक योग:

इसमें दो करोड उनमालीस लाख पिनवासी हजार नौ सौ

Signature and stamp of Umesah Sahani, DFO Wild Life Division Ranchi

क्रमांक	विषय कोड	एकरीय नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवृत्त राशि
4	S 19 24060211022010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 02 - पर्यवेक्षण व वानिकी तथा वन्य जीव 110 - वन्य जीव पर्यवेक्षण 22 - वन्य प्राणी पर्यवेक्षण का समेकित विकास योजना 01-वन्यप्राणी पर्यवेक्षण एवं समेकित विकास योजना 03 - सहायकिक व्यय	75244	DRNFWL049 UMESH SAHANI DFO WILD LIFE DIVISION RANCHI 23 - जंगल एवं शमरी	4,458,600.00
	Stew Scheme :	NA		
	Central Scheme :	NA		



योग:	4,458,600.00
क्रमिक योग:	28,443,800.00

(Signature)
 INMAD NISHORE SINGH
 DFO, WILD LIFE DIVISION RANCHI